राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/160

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111 – 128	91/24	5/4/2024	[illegible] 17/5/24	18/4/2024

अनवान

श्री देवीलाल s/o गोपी जाति मीणा

निवासी बड़ोदिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री रामफूल धाकड़

श्री प्रेमा s/o खाना जाति माली

निवासी रामपुरिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

देवीलाल बनाम शैतान

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 91/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…/4/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 18/5/2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
18/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/5/24 को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश आगामी दिनांक 14/05/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा	
14/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए तहरीर जारी की गई। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाडा	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :— 91/24 तारीख 05/4/24

देबीलाल पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. शैतान पुत्र खाना जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. लादू पुत्र गणेश जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. लादू पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. घीसू पुत्र देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. केसरबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि मोहन जाति माली निवासी सालमखेडा रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

..................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 — 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :— दिनांक: 14/5/24

प्रार्थना पत्र देबीलाल पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 130/1, 173/3, 175, 176/1, 176/3 कुल किता 05 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 130/1, 173/3, 175, 176/1, 176/3 कुल किता 05 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां

लय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 05/4/24

। संख्या – 91/24

। :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......91....../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

ब्रीलाल पुत्र गोपी जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां
जिला भीलवाड़ा (राज0) ....प्रार्थी

बनाम

01. शैतान पुत्र खाना जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. लादू पुत्र गणेश जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. लादू पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बडोदिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. घीसू पुत्र देवा जाति माली उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. केसरबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि मोहन जाति माली निवासी सालमखेडा रामपुरिया बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम बडोदिया पटवार हल्का जलिन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 53 पर अंकित आराजी संख्या 130/1, 173/3, 175, 176/1, 176/3 कुल किता 05 रकबा 0.9955 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीया अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)